कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

::ई–निविदा सूचना::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, मेरठ के क्षेत्रान्तर्गत पशु पैठ सलाहपुर के लदान/ढुलान शुल्क वसूली का ठेका दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए ई–निविदा दिनांक 06.03.2020 के अपरान्ह 5:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो निविदा ई–पोर्टल (www.etender.up.nic.in) व http:meerut.nic.in पर दिनांक 02.03.2020 के प्रातः समय 11:00 बजे से उपलब्ध होगी और दिनांक 02.03.2020 को प्रातः 11:00 बजे से दिनांक 06.03.2020 के अपरान्ह 5:00 बजे तक अभिलेख अपलोड एवं निविदा बिड डाली जा सकेंगी जो दिनांक 07.03.2020 के दोपहर 02:00 बजे इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा मूल्य जी0एस0टी0 सहित 1,180/–रू0 जिला पंचायत के सिंडिकेट बैंक स्थित खाता सं0–88372200058745 में जमा करना होगा। जमानत की धरोहर अंकन 1,00,000/–रू0 (एक लाख रूपयें) की एफ0डी0आर0, जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत मेरठ के नाम बंधक हो, ठेकेदार का स्वयः का हैसियत प्रमाण–पत्र, चरित्र प्रमाण–पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हो, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर, आधार कार्ड तथा एक फोटो निविदा के साथ (www.etender.up.nic.in) पर अपलोड करना होगा शर्ते व पूर्ण विवरण जनपद की वैबसाईट meerut.nic.in पर व कार्यालय में दिनांक 02.03.2020 से देखी जा सकती है। उपरोक्त अभिलेखों के साथ–2 मूल एफ0डी0आर0 कार्यालय में या मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, मेरठ में दिनांक 07.03.2020 को 12:00 बजे तक उपलब्ध कराने होगे।

(प्रदीप कुमार सक्सैना)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

पत्रांकः– 11687 /जि0पं0मे0/2019–20 दिनांकः–27 .02.2020

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, मेरठ।
2. मुख्य अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेरठ।
3. नाजिर जिला जज, मेरठ/जिलाधिकारी, मेरठ/समस्त उपजिलाधिकारी, मेरठ को इस आश्य से प्रेषित है कि उपरोक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
4. अपर जिला अधिकारी (प्रशासन), मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना जनपद की वैबसाईट http:meerut.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. वित्तीय परामर्शदाता/अभियन्ता, जिला पंचायत, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथियों को ई–टेण्डरिंग व टेण्डर खोलने हेतु कार्यालय उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ।
6. सम्पादक, दैनिक अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान, मेरठ को इस आशय के साथ कि अपने–अपने समाचार पत्रों के आगामी अंक में कम से कम स्थान पर केवल एक बार प्रकाशित कराकर दो प्रतियों में बिल इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

DIO, NIC

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ।
28/2/2020

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।
शरायत ई–निविदा

पशु पैठ सलाहपुर ब्लॉक व थाना रोहटा, तहसील व जिला मेरठ के लदान/ढुलान शुल्क वसूली के ठेके की नीलाम की कार्यवाही ई–निविदा द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार की जायेगी।

1. नीलाम अवधि वर्ष 2020–21 से 2022–23 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2023) तक होंगी।
2. ई–निविदा के समय जमानत के रूप में अंकन 1,00,000/–रू0 (एक लाख रूपये) की **F.D.R.** जमा करना होगा। जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ के पद नाम से बंधक होंगी तथा ई–निविदा के तुरन्त बाद उच्चतम ई–निविदा की कुल धनराशि का 1/3 भाग कार्यालय में जमा करना होगा। जमानत राशि का समायोजन तृतीय/अन्तिम किस्त में होगा।
3. पशु पैठ के लदान/ढुलान का ठेका ई–निविदा से किया जायेगा।
4. ठेके को चलाने के लिये जनसाधारण की सुरक्षा हेतु ठेकेदार को समुचित व्यवस्था करनी होगी।
5. पशु पैठ में पार्किग एवं लदान/ढुलान के स्थान अडडा सार्वजनिक मार्ग के किनारे से अलग स्थापित करने का दायित्व ठेकेदार पर होगा। मार्ग अवरूद्ध न हो यह जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
6. ई–निविदा प्रक्रिया में शासनादेश सं0–5748/53–2–200/190–जी/2006 दिनांक 17.11.2006 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण–पत्र व हैसियत प्रमाण–पत्र तथा टीन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर, पैन कार्ड, आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
7. उपविधियों में कोई संशोधन किया जाता है तो ठेकेदार उपविधियों के संशोधित के पाबन्द होंगे।
8. उपविधियों भाग 4 की धारा 5 में निर्धारित शुल्कों के अनुसार पार्किग/लदान/ढुलान शुल्क प्राप्त कर रसीद निर्गत करेगा।
9. ठेकेदार द्वारा कार्यालय द्वारा जारी की गयी रसीद बहियों का ही प्रयोग किया जायेगा, अन्य का नहीं। रसीदों के प्रतिपर्ण वापस कार्यालय में जमा करने होगें।
10. ठेकेदार कथित शुल्क प्राप्ति की रसीद कार्यालय को निर्धारित शुल्क अदा करके प्राप्त करेगा।
11. यह कि समय–समय पर जिला पंचायत, मेरठ द्वारा जो भी निर्देश/आदेश ठेकेदार को दिया जायेगा वह ठेकेदार को मान्य होगा।
12. प्लेट फार्म, सड़क पानी आदि की व्यवस्था/सुविधा संतोषजनक ढंग से पार्किग स्थल पर उपलब्ध कराना ठेकेदार का दायित्व होगा।
13. प्राकृतिक आपदा सरकारी कृत्य अथवा शान्ति व्यवस्था सम्बन्धित कारणों से यदि ठेके का कार्य बाधित होता है तो इस सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद का समाधान अनुबन्ध–पत्र के अन्तर्गत उभय पक्षों के मध्य वार्ता एवं सहमति से किया जायेगा।
14. ई–निविदा अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति की प्रत्याशा मे छोड़ा जायेगा। अध्यक्ष महोदय को स्वीकृति एवं अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निहित होगा।
15. अनुबन्ध का प्रारूप जो कार्यालय द्वारा तैयार किया जायेगा। वही मान्य होगा।
16. ठेका सक्षम अधिकारी से स्वीकार होने के उपरान्त ठेकेदार को एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अपने व्यय से अनुबन्ध करना होगा अन्यथा स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
17. यदि मुख्य मार्ग पर लदान/ढुलान के कारण यातायात बाधित होता है तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा जॉच कराकर ठेका निरस्त कर दें।
18. शासन/प्रशासन या अन्य कारणों से पशु पैठ बन्द होती है तो उन तिथियों की पैठों को आगे बढ़ाने या धनराशि वापसी की मांग मान्य नहीं होगी।
19. जिला पंचायत, मेरठ का कोई भी बकायेदार/दिवालिया/पागल व्यक्ति ई–निविदा में भाग लेने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, मेरठ

अध्यक्ष
जिला पंचायत, मेरठ